राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला, हरिद्वार

संक्षिप्त परिचय

देवभूमि के द्वार हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में न्यूनतम शुल्क पर गुणात्मक तथा मूल्य परक उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला हरिद्वार माह नवम्बर 2021 में स्थापित किया गया | महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है | गुरू शिष्य परम्परा के अनुरूप पठन-पाठन द्वारा छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते हुए विद्यार्थियों को प्राचीन एवम् आधुनिक ज्ञान की समन्वित जानकारी प्रदान कर उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास के द्वारा राष्ट्र की समृद्धि हेतु तार्किक, विवेकशील वैज्ञानिक तथा रचनात्मक दृष्टिकोण युक्त चरित्रवान नागरिकों का सृजन करना है | महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से अपेक्षा है कि मनसा, वाचा, कर्मणा से राष्ट्र के उन्नयन हेतु सहर्ष योगदान प्रदान करेंगे |

''उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत'' |

उठो जागो और तब तक मत रूको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए |

प्रवेश विवरणिका

महाविद्यालय में तीन संकायों के अंतर्गत निम्नवत् पठन-पाठन होता है -

1 – कलासंकाय-

कलासंकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर निम्न विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है | प्रत्येक विषय में अधिकतम 60 सीटें निर्धारित की गयी हैं यह संख्या किसी भी स्थिति में बढाई नहीं जा सकती इसका उलंघन दंडनीय है |

बी0 ए0 -

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. संस्कृत
4. राजनीतिविज्ञान
5. अर्थशास्त्र
6. इतिहास
7. भूगोल
8. गृहविज्ञान
9. शिक्षाशास्त्र
10. ड्रांइग/पेंटिग
11. मनोविज्ञान

2 – विज्ञान संकाय

विज्ञान संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर निम्न विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है –

बी.एस.सी.

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. गणित
4. जंतु विज्ञान
5. वनस्पति विज्ञान
6. कंप्यूटर साइंस

3. वाणिज्य संकाय

1. बी0 काम0

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन

उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2022 - 23 से लागू करने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1196/XXIV - C - 4/2021 - 01 (06) / 2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर मे प्रवेश एवं अन्य विषयगत बिंदुओ के सन्दर्भ में निम्न दिशानिर्देश निर्गत किये गए है |

1.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों (बी.ए.,बी.एस.सी., बी.कॉम.आदि) में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022 - 23 से लागू होगा |

1.2 स्नातक (शोधसहित) बी.ए. बी.एस.सी. बी.कॉम. आदि एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023 - 24 से लागू होगा |

2. पाठ्यक्रम:-

2.1 स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख / मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा |

2.2 द्वितीय वर्ष में 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष तीन प्रमुख / मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव), एक माइनर इलेक्टिव, पेपर दो सह – पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा |

2.3 तृतीय वर्ष में 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष दो प्रमुख / मेजर विषय (दो कोर) दो सह – पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी |

3. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय वर्ग / संकाय के लिए पूर्व पात्रता (Pre - requisite)

3.1 विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र होगा |

3.2 कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र होगा |

3.3 वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय अथवा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र होगा |

3.4 कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र होगा |

3.5 व्यवसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र होगा |

4. मुख्य (Major) विषय तथा गौण चयनित (Minor Elective) पेपर

4.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा तथा उसे उस संकाय में दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा | यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है |

4.2 तीसरे मुख्य वैकल्पिक (Major elective) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है |

4.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उन के क्रम में परिवर्तन कर सकता है |

4.4 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं |

4.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा |

4.6 मेजर/माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी पूर्व-शर्त (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी |

4.7 बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा |

4.8 तीसरे मुख्य (मेजर) इलेक्टिव विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो |

पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को तीन समूहों यथा समूह अ, समूह ब तथा समूह स में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत निर्गत किए जा रहे हैं | प्रारंभिक रूप से यह नियम सत्र 2022-23 हेतु प्रभावी होंगे | आगामी सत्रों से इन नियमों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है | नियम परिवर्तन की दशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी |

समूह अ	समूह ब	समूह स
HINDI	DRAWING AND PAINTING	ECONOMICS
ENGLISH	HOME SCIENCE	HISTORY
SANSKRIT	EDUCATION	POLITICAL SCIENCE
	GEOGRAPHY	PHILOSPHY
	MUSIC	SOCIOLOGY
	PSYCHOLOGY	
	MILLITARY & DEFENCE STUDIES	
	ANTHROPOLOGY	

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन प्रमुख/मेजर (02 कोर व एक 01 इलेक्टिव) विषयों का चयन कर सकता है | सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा |

किसी एक ही समूह के दो मेजर कोर लेने के पश्चात मेजर इलेक्टिव अन्य समूह या अन्य संकाय से लिया जाएगा | विद्यार्थी किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन मेजर कोर के रूप में कर सकता है | किसी एक समूह से तीन प्रमुख/मेजर विषयों का चयन नहीं किया जाएगा | अतः विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व दो से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा |

विज्ञान संकाय

समान प्रक्रिया विज्ञान संकाय के विषयों के संदर्भ में भी लागू होगी | विज्ञान संकाय के विषयों को तीन समूहों में विभाजित करते हुए विज्ञान संकाय में दो कोर प्रमुख/मेजर विषय का चयन समूह 'अ'/समूह 'ब'/समूह 'स' से किया जा सकता है | 02 मेजर कोर विषय का एक साथ चयन व दो से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं किया जा सकता |

समूह अ	समूह ब	समूह स
Physics	Botany	Chemistry
Mathematics	Biotechnology	Geology
	Zoology	Statistics
		Computer Science

वाणिज्य संकाय –

वाणिज्य संकाय के विषयों को तीन समूह में विभाजित किया गया है :

समूह अ	समूह ब	समूह स
Financial Accounting (Major Core own Faculty)	Business Regulatory Frame work (Major Core own Faculity)	Business Organization & Mangement
		Business Communication. (Major Elective per Own Faculty/other faculty)

वाणिज्य संकाय में प्रवेशरत विद्यार्थी समूह अ, ब, स को मेजर कोर की तरह चयनित करेगा | विद्यार्थी दो मेजर कोर वाणिज्य संकाय से लेने के पश्चात् तीसरे मेजर इलेक्टिव का चयन वाणिज्य संकाय के समूह स से अथवा अन्य संकाय से कर सकता है |

5. कौशल विकास पाठ्यक्रम

कौशल विकास / रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर / महाविद्यालय स्तर पर उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 1196/XXIV - C - 4 / 2021 - 01 (06)/2019.दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है |

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक - एक कौशल विकास कोर्स 12 क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम के साथ पूर्ण करना होगा |

परिसर / महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता होगी |

6. सह - पाठ्यक्रम

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक - एक सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा |

6.2 विद्यार्थी को हर सह - पाठ्यक्रम को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा | विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए.की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा |

6.3 ये छह पाठ्यक्रम सेमेस्टर अनुसार निम्नवत होंगे::

प्रथम सेमेस्टर	:	संपर्क व्यवहार कौशल
द्वितीय सेमेस्टर	:	पर्यावरण अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा
तृतीय सेमेस्टर	:	श्रीमदभगवत गीता में प्रबंधन प्रतिमान
चतुर्थ सेमेस्टर	:	वैदिक विज्ञान / वैदिक गणित
पंचम सेमेस्टर	:	ध्यान / राम चरित मानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास
षष्टम सेमेस्टर	:	भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सार / विवेकानन्द अध्ययन

प्रवेश फार्म भरने संबंधी आवश्यक निर्देश

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राएं प्रवेश फार्म के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां अनिवार्य रूप से क्रमानुसार संलग्न करें:
   I. हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र |
   II. इंटरमीडिएट अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र |
   III. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्रवेश के समय मूल प्रति जमा करना अनिवार्य) |
   IV. चरित्र प्रमाण पत्र (प्रवेश के समय मूल प्रति जमा करना अनिवार्य) |
   V. NCC/NSS / खेल प्रमाण पत्र अथवा कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि |
   VI. आरक्षण श्रेणी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने नाम का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा | दिव्यांग हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा | अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड का प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो | साथ ही अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर के अन्तर्गत शामिल न होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी |

2. व्यक्तिगत / मुक्त पद्धति से उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करेंगे (मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना आश्यक होगा)
3. उत्तराखंड प्रदेश के छात्रों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के छात्रों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना भी अनिवार्य होगा |
4. मेरिट योग्यता सूची में अभ्यर्थी का नाम आने पर अभ्यर्थी को प्रवेश के समय उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एंटी रैगिंग प्रपत्र के साथ प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा |

5- अपूर्ण फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे |

नोट: छात्र - छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए महाविद्यालय द्वारा अतिरिक्त समय देव नहीं होगा | अभ्यर्थी प्रवेश संबंधी सूचनाओं के लिए महाविद्यालय का सूचना पट्ट देखते रहें |

आरक्षण :-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों के आरक्षण की सुविधा उत्तराखंड शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक -2-2001-53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखंड शासन उच्च शिक्षा अनुभाग- 4 के पत्रांक 1022/XXIV(4)/2019-01

(13) / 2019 दिनाक 30 जुलाई 2019 के अनुसार अनुमन्य होगी जो इस प्रकार है अनुसूचित जाति 19% अनुसूचित जनजाति 4% अन्य पिछड़ा वर्ग 14% आर्थिक रूप से कमजोर - वर्ग 10% | इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज (होरिजेन्टल) आरक्षण देय होगा महिला 30%, भूतपूर्व सैनिक आश्रित 5%, दिव्यांग 4% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%

नोट: उक्त आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियो के लिए ही लागू होगा |

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. कक्षाएं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर संचालित की जाएगी |
2. महाविद्यालय द्वारा घोषित कार्यक्रम व अंतिम तिथि तक निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा |
3. स्नातक स्तर पर प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर दिए जाएंगे |
4. इंटरमीडिएट / समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर निम्न प्रकार से अतिरिक्त अंक आवंटित कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जाएगा |

(a) राज्य स्तर / राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र/छात्राओं को क्रमशः 05 तथा 07 अतिरिक्त अंक देय होगे |

(b) एन.सी.सी. बी प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक, (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय होगे |

(c) राष्ट्रीय सेवा योजना ए, बी प्रमाण पत्र धारक या 240 घण्टे + दो विशेष शिविरों में प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं 2 अंक, सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर / गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक) अतिरिक्त देय हो |

(d) स्काउट में पद सोपान-1 धारक को 1 अंक तथा पद सोपान - 3 धारक को 2 अंक अतिरिक्त देय हो | निपुण धारक को 1 अंक, राज्य पुरस्कार धारक को 3 अंक देय होगे (अधिकतम 5 अंक देय होगे) |

(e) सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री) को 3 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा | यह अंक न्यूनतम अहर्ता अंक अर्थात सामान्य / ओबीसी हेतू 40% प्राप्तांक एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 35% प्राप्तांक के बाद ही मान्य हो |

उपर्युक्त अतिरिक्त वरीयता अंकों में से अधिकतम 15 अतिरिक्त अंक देय होंगे |

5. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट (10+2) 5 विषयों सहित उत्तीर्ण छत्र/ छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह है |
6. कुलसचिव गढ़वाल विश्वविद्यालय के पत्रांक ग.वि.वि./परीक्षा/ 2008 दिनांक 03.5.2008 के अनुसार माननीय उच्चन्यायालय उत्तराखंड ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2008 में गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन से पंडित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष नहीं माना है | अतः ऐसे छत्र/छात्राओं को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं है | विश्वविद्यालय द्वारा मान्य इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के बोर्ड के आवेदक ही मेघा सूची हेतु चयन किए जाएंगे |
7. इंटरमीडिएट के पश्चात गैप वाले अभ्यर्थी के लिए प्राप्त कुल प्रतिशत में से 5% अंक प्रति वर्ष के हिसाब से घटा दिए जाएंगे 02 वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा |
8. यदि अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को गैप नहीं माना जाएगा | उन परीक्षाओं के प्रमाणपत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा |
9. आरक्षण का लाभ पाने वाले छात्र/छात्राओं को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी एवं दिव्यांगों को मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना होगा | दिव्यांग प्रमाणपत्र में दिव्यांग का प्रतिशत भी अंकित होनी चाहिए | अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए |

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक निर्देश

1. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना एवं पान मसाला व तम्बाकू का सेवन निषेध है | इसका सेवन करते समय पाए जाने पर अर्थदंड वसूला जा सकता है | संबंधित के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही भी की जा सकती है |
2. महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है |
3. महाविद्यालय की किसी भी सामग्री जैसे पुस्तक, प्रयोगशाला की सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदंड का प्रावधान है तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है |
4. क्रीडा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय तात्कालिक नियम बनाए जाते हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य है | परीक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के सभी नियम लागू होगे |
5. सभी छात्र / छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखेंगे | परिसर में इसे कभी भी दिखाने का आदेश दिया जा सकता है |
6. शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रति छात्र-छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए | अभद्र व्यवहार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी |
7. प्रवेश के पश्चात किसी भी अनियमितता या अनुशासनहीनता पाए जाने की स्थिति पर प्रवेश तत्काल निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा |

उपस्थिति नियम :

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 164 (PIL) / 2013 दौलतराम सेमवाल एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड शासन में पारित निर्णय के तत्वावधान में, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक डिग्री सेवा / 12301-390/2014-15 दिनांक 26 नवम्बर 2014 में निर्देशित छात्र / छात्राओं हेतु विशेष अनुदेश-

1. छात्र / छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य रूप से 75 प्रतिशत होनी चाहिए |
2. 75 प्रतिशत उपस्थिति विषयवार एवं कुल उपस्थिति, दोनों ही सन्दर्भ में सुनिश्चित की जाएगी |
3. 74.9 प्रतिशत को 75 प्रतिशत स्वीकार नहीं किया जायेगा |
4. छात्र / छात्राओं की 75% उपस्थिति पर ही परीक्षा फार्म अग्रसारित किया जायेगा | कम उपस्थिति वाले छात्र / छात्राओं के ऑन लाईन परीक्षा फार्म की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं की जाएगी |
5. छात्र / छात्राओं की उपस्थिति का साप्ताहिक ब्यौरा निदेशालय एवं विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा |
6. 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति / निर्धन कोष सहायता इत्यादि हेतु अर्ह नहीं होंगे |
7. 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा छात्र संघ के किसी भी पद के प्रत्याशी के रूप में अर्ह नहीं होंगे |
8. निम्नलिखित स्थितिया में पूरे सत्र में से किसी भी विषय में व्याख्यान आदि में मात्र 15 प्रतिशत की छूट प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है | यदि-

(i) विद्यार्थी की लम्बी बीमारी के कारण कक्षा में उपस्थित न हो पाने पर 15 दिन के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो |

(ii) उपर्युक्त के समकक्ष किसी भी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर |

परीक्षा : परीक्षायें श्री देव सुमन उत्तरखण्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जायेगी | परीक्षा के सम्बन्ध में विश्वविध्यालय के नियम लागू होंगे |

परीक्षा आवेदन पत्र - परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर ऑनलाइन भरना होगा |

परीक्षा शुल्क : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ऑन-लाइन जमा करवाना होगा तथा ऑन-लाइन परीक्षा आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क की रसीद की एक प्रति महाविद्यालय कार्यालय में जमा करनी होगी |

वेशभूषा – महाविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार एक ड्रेस कोड अनिवार्य है जो निम्नानुसार है -

छात्र- सफेद कमीज, ग्रे पैंट, ब्लैक टाई तथा ग्रे स्वेटर |

छात्रा- ग्रे कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा ग्रे- स्वेटर |

परिचय-पत्र : महाविद्यालय के संस्थागत छात्र/छात्रा को अनिवार्यत: कार्यालय से परिचय-पत्र प्राप्त करना होगा | परिचय-पत्र पर छात्र / छात्रा को अपना नवीनतम फोटो टिकट साइज का लगाकर महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर के द्वारा सत्यापित करवाने के पश्चात नियमित रूप से अपने पास रखना अनिवार्य है | किसी भी विद्यार्थी को बिना परिचय-पत्र के महाविद्यालय में आने की अनुमति नहीं होगी | परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में 50/- रु० शुल्क जमा कराने पर ही नया परिचय पत्र जारी किया जाएगा |

स्थानान्तरण - चरित्र प्रमाण-पत्र : उक्त प्रमाण-पत्र के लिए विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर प्राचार्य को प्रार्थना-पत्र देना होगा | स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के लिए 5/- रु० शुल्क जमा करना होगा |

पुस्तकालय :

महाविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध है, जो प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुला रहता है | पुस्तकालय में प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है |

1. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय कार्ड बनवाना आवश्यक हैं |
2. पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्राप्ति की रसीद तथा परिचय पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालय प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे |
3. प्रत्येक छात्र - छात्रा एक समय में प्राप्त पुस्तक अधिकतम 15 दिन तक अपने पास रख सकता है | तत्पश्चात् 5/- रु. प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा | यदि पुस्तक वापसी के दिन अवकाश हो तो आगामी दिवस को निर्धारित वापसी का दिवस माना जाएगा |
4. पुस्तकालय संदर्भ ग्रन्थ, पत्र-पत्रिकाओं एव समाचार पत्रों को पुस्तकालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है |
5. पुस्तक खो जाने, फट जाने या विनष्ट हो जाने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |
6. पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तक निर्गत करने के लिए अलग-अलग कक्षा के लिए अलग-अलग दिन व समय निर्धारित किया जाएगा | केवल उन्हीं निर्धारित समय व दिन पर पुस्तकों का आदान-प्रदान हो पाएगा |
7. परीक्षा प्रवेश-पत्र लेने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस कर पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय (नो-ड्यूज) प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा |
8. पुस्तकालय सम्बन्धी किसी भी मामले में पुस्तकालयाध्यक्ष तथा प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा |

अनुशासन मण्डल (प्रॉक्टोरियल बोर्ड) महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु एक अनुशासन समिति प्रभावी ढंग से कार्य करती है | यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय की नियमावली एवं निर्देशों का उल्लंघन करता है अथवा अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होता है, तो अनुशासन मण्डल द्वारा उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है |

आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) :-

राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद (NAAC), बैंगलूर के परिदर्शन के आलोक में प्रध्यापकों और विद्यार्थियों में अकादमिक गुणवत्ता तथा तत्सम्बन्धी कौशल के संवर्धन परिष्करण हेतु महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) गठित किया गया है | यह प्रकोष्ठ प्राचार्य की अध्यक्षता में अपनी नियमित बैठकों में अध्यापन, शोध तथा विस्तार के प्रबन्धन और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर उन्नयन हेतु कार्य करता है |

शिक्षणेतर क्रिया - कलाप

विद्यार्थियों के चहुँमुखी विकास के लिए निम्न शिक्षणेतर कार्यक्रमों की व्यवस्था महाविद्यालय में उपलब्ध है |

1. क्रीडा परिषद - छात्र/छात्राओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के परिपेक्ष्य में पठन - पाठन के साथ– साथ क्रीडा गतिविधियों का होना भी आवश्यक है |
2. विभागीय परिषदे - सभी विषयों में विभागीय परिषदों का गठन प्रति-वर्ष किया जाता है | जिसके माध्यम से विभिन्न शिक्षणेतर कार्यक्रमों के अंतर्गत निबन्ध, प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान, वाद - विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है |
3. सांस्कृतिक परिषद - सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है |

अभिभावक शिक्षक संघ :

महाविद्यालय के छात्र - छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए एक संघ का गठन किया जाता है, ताकि, प्रत्येक सत्र में अभिभावकों की अपेक्षा के अनुरूप छात्र- छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग की जा सके | संघ का उद्देश्य छात्र-छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है |

महिला उत्पीड़न (निषेध) निवारण समिति :

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में स्वस्थ परिवेश के निर्माण हेतु एक महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित है, जिसका प्रयत्न ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक छात्रा पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से मुक्त होकर अध्ययन कर सके महाविद्यालय परिसर में किसी छात्रा को उत्पीड़न महसूस होने पर वह इस समिति को सूचित कर सकती है |

एन्टी रैगिंग:

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है | माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रैगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है | महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की गतिविधियों पर निगरानी एवं रोक लगाने हेतु एन्टी रैगिंग स्क्वॉड का गठन किया गया है | प्रवेश के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक छात्र-छात्रा को एन्टी रैगिंग शपथ-पत्र ऑन-लाइन भरना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय में भी जमा होगी | एन्टीरैगिंग शपथ पत्र हेतु MHRD की वेबसाइट है www.amanmovement.org अथवा www.antiragging.in विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों मार्च 2009 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या-310/04/एस.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये गये है-

1. रैगिंग से अभिप्राय है

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause embarrassment, annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging.

2. रैगिंग से सम्बन्धित दण्डनीय क्रियाकलाप

रैगिंग करने के लिए उकसाना, रैगिंग करने के लिए आपराधिक षडयंत्र करना, रैगिंग हेतु गैर कानूनी सभा एवं दंगा करना, रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन, रैगिंग से शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट अनुचित रूप से किसी भी प्रयोजन हेतु प्रतिबन्धित करना, अनुचित रूप से बंधक बनाना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध जबरन वसूली, आपराधिक अतिक्रमण, सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध, आपराधिक रूप से धमकाना, रैगिंग में शामिल उपर्युक्त में से किसी एक अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास करना तथा रैगिंग की परिभाषा में निहित समस्त अपराध |

3. दण्ड

संस्था में रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को निम्न में से कोई एक अथवा कई दण्ड दिए जा सकते है प्रवेश निरस्त किया जाना, कक्षा से निलम्बन, छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना, किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना, परीक्षा परिणाम रोकना, किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करने पर रोक, संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना, रु0 25 हजार तक का जुर्माना, जब तक रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाएगा तब तक सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी तथा गम्भीर स्थितियों में भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्भव है |

छात्रवृत्ति

उत्तराखण्ड के मूल निवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराने का प्रावधान है | अनुसूचित जाति / जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक /विकलांग छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है | समय- समय पर शासनादेशों के अनुसार ही उक्त छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाता है | इसके लिए विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र पर वांछित प्रमाण-पत्रों सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी पड़ती है | छात्रवृत्ति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु :

1. अभ्यार्थी के कक्षा में 75% से कम की उपस्थिति होने पर उसे किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी तथा 74.99 को 75% नहीं माना जाएगा | उपस्थिति का नियमित विवरण समाज कल्याण विभाग को प्रेषित किया जाएगा |
2. बी. ए. द्वितीय व तृतीय वर्ष के केवल उन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देय होगी, जिन्होंने महाविद्यालय में मुख्य परीक्षा न्यूनतम अंकों से पास की हो |
3. छात्रवृत्ति उन छात्र - छात्राओं को दी जाएगी, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के अन्दर हो |
4. आवेदक को छात्रवृत्ति हेतु www.escholarship.uk.in पर आन-लाइन आवेदन करना होगा तथा आवेदन की एक प्रति समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित महाविद्यालय कार्यालय में जमा करनी होगी |

छात्रवृत्ति आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले पत्र जातों का विवरण:

1. आय प्रमाण-पत्र (6 माह से अधिक पुराना न हो)
2. जाति प्रमाण-पत्र (OBC का प्रमाण पत्र 3 वर्षों से अधिक पुराना न हो)
3. मूल निवास प्रमाण-पत्र
4. आधार कार्ड
5. पूर्व कक्षा की अंक तालिका
6. संस्थागत छात्र प्रमाण-पत्र / परिचय-पत्र की छायाप्रति
7. शुल्क रसीद
8. बैंक पासबुक (सी.बी.एस. ब्राँच ही मान्य है)

I. बैंक खाता केवल सम्बन्धित छात्र-छात्रा के नाम पर ही होना अनिवार्य है |

II. बैंक पासबुक में IFSC अवश्य अंकित हो |

नोट: किसी भी छात्र - छात्रा को छात्रवृत्ति प्राप्त होना या न होना पूर्ण रूप से समाज कल्याण विभाग के नियमों के अधीन है | महाविद्यालय, केवल आवेदन पत्र स्वीकार कर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए अग्रसारित करने का कार्य पूर्ण करता है |

महाविद्यालय परिवार

संरक्षक- प्राचार्य

प्राध्यापक वर्ग

1. **हिन्दी**
2. **अंग्रेजी**
3. **संस्कृत**
4. **राजनीतिविज्ञान**
5. **अर्थशास्त्र**
6. **इतिहास**
7. **भूगोल**
8. **गृहविज्ञान**
9. **शिक्षाशास्त्र**
10. **ड्रांइग/पेंटिग**
11. **मनोविज्ञान**
12. **भौतिक विज्ञान**
13. **रसायन विज्ञान**
14. **गणित**
15. **जंतु विज्ञान**
16. **वनस्पति विज्ञान**
17. **कंप्यूटर साइंस**
18. **वाणिज्य**

प्रशासनिक अनुभाग

1. प्राचार्य - आहरण वितरण अधिकारी

2. प्रशासनिक अधिकारी

3. पुस्तकालयाध्यक्ष